

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग



झारखण्ड व्यवसायिक शिक्षण संस्थान
(शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025

विषय-सूची

अध्याय-I

प्रारंभिक

अध्याय-II

शुल्क विनियमन समिति का गठन

अध्याय - III

शुल्क विनियमन समिति की शक्तियां

अध्याय - IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

अध्याय - V

विविध

झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025

-: प्रस्तावना :-

झारखंड राज्य में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क विनियमित करने हेतु विधेयक ।
भारतीय गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप
में अधिनियमित हो:-

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण:- झारखंड सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में,
झारखंड राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पेश किए जा रहे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों
के लिए फीस को विनियमित करने, मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस पर रोक लगाने के औचित्य
के साथ तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।

तदनुसार झारखंड व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025
प्रस्तुत किया जाता है :-

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. (i) इस अधिनियम को झारखंड व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

संक्षिप्त शीर्षक,
विस्तार, प्रारंभ
और अनुप्रयोग

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(iii) यह झारखंड राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

(iv) यह झारखंड राज्य में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, -

(1) "शैक्षणिक वर्ष" से तात्पर्य सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 1 जून को या उसके बाद प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है;

(2) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" से तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 द्वारा स्थापित परिषद से है;

- (3) "कैपिटेशन फीस" से तात्पर्य किसी भी नाम से ज्ञात किसी भी राशि से है, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, जो इस अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित विद्यार्थी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या एकत्र की जाती है;
- (4) "शुल्क" से तात्पर्य शुल्क विनियमन समिति द्वारा निर्धारित और अधिसूचित शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्क से है;
- (5) "शुल्क विनियमन समिति" या "समिति" का तात्पर्य उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुल्क के विनियमन के लिए इस अधिनियम के धारा 3 के तहत गठित समिति है;
- (6) "सरकार" से तात्पर्य झारखंड सरकार से है;
- (7) "उच्च शिक्षण संस्थान" का आशय है एक महाविद्यालय या विद्यालय या संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता हो, किसी राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, जिसमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित एक निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 के अधिनियम 3) की धारा 3 के तहत एक संस्थान जो समविश्वविद्यालय (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) की घटक इकाई एवं उपयुक्त और सक्षम नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो, या सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्थान शामिल हो;
- (8) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद" से तात्पर्य कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डी0ए0आर0ई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित परिषद से है;
- (9) "प्रबंधन" में प्रबंध समिति या कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय, समिति या कोई अन्य शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, शामिल है जिसमें किसी शैक्षणिक संस्थान के मामलों का प्रबंधन या प्रशासन करने की शक्ति निहित है;

परंतु किसी वक्फ बोर्ड का न्यासी बोर्ड या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं तथा विन्यासों और वक्फों से संबंधित किसी समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित या नियुक्त किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के

लिए प्रबंधन समझा जाएगा;

- (10) "राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग" का तात्पर्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 द्वारा स्थापित आयोग से है;
- (11) "प्रवासी भारतीय" से तात्पर्य भारतीय मूल के माता-पिता से जन्मे और भारत से बाहर रहने वाले विद्यार्थी से है;
- (12) "निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
- (13) "व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" का अर्थ है, -
 - (i) बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी;
 - (ii) डेंटल सर्जरी में स्नातक;
 - (iii) आयुर्वेदिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक;
 - (iv) यूनानी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक;
 - (v) प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में स्नातक;
 - (vi) होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक;
 - (vii) अभियंत्रण में स्नातक;
 - (viii) प्रौद्योगिकी में स्नातक;
 - (ix) वास्तुकला में स्नातक ;
 - (x) फार्मसी में स्नातक;
 - (xi) होटल प्रबंधन और भोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी में स्नातक;
 - (xii) नर्सिंग विज्ञान में स्नातक;
 - (xiii) कृषि विज्ञान में स्नातक;
 - (xiv) व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक;
 - (xv) विधायी कानून में स्नातक / विधि स्नातक (एलएलबी);
 - (xvi) शिक्षा में स्नातक;
 - (xvii) मेडिकल स्ट्रीम में सभी मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम;

- (xviii) फार्मसी में स्नातकोत्तर;
- (xix) अभियंत्रण में स्नातकोत्तर;
- (xx) प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर ;
- (xxi) वास्तुकला में स्नातकोत्तर;
- (xxii) नर्सिंग विज्ञान में स्नातकोत्तर ;
- (xxiii) व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर;
- (xxiv) विधायी कानून में स्नातकोत्तर / विधि में स्नातकोत्तर (एलएलबी);
- (xxv) शिक्षा में स्नातकोत्तर ;
- (xxvi) कृषि में मास्टर ऑफ साइंस, और
- (xxvii) डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट स्तर का कोई अन्य पाठ्यक्रम, जैसा कि शुल्क विनियमन समिति समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित करे ;
- (14) "विनियामक प्राधिकरण" से तात्पर्य किसी अधिनियम या नियम के तहत उच्च शिक्षा को विनियमित करने के उद्देश्य से स्थापित किसी भी वैधानिक राज्य या केंद्रीय विनियामक प्राधिकरण से है;
- (15) "राज्य विश्वविद्यालय" का तात्पर्य सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत घोषित राज्य विश्वविद्यालय से है;
- (16) "व्यक्ति" का तात्पर्य किसी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षणिक योग्यता की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम करने हेतु उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित व्यक्ति से है;
- (17) "निजी विश्वविद्यालय" का अर्थ है सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय और इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निजी विश्वविद्यालयों की समेकित सूची में सूचीबद्ध है।

अध्याय-II

शुल्क विनियमन समिति का गठन

- 3.(1) सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क के विनियमन के लिए शुल्क विनियमन समिति नामक एक समिति का गठन करेगी। समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत होगा:-

समिति का गठन
और संरचना

(i) झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अनुशंसित झारखंड उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
(ii) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा नामित किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति	उपाध्यक्ष
(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट	सदस्य
(iv) चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग स्ट्रीम से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि अथवा इंजीनियरिंग और प्रबंधन स्ट्रीम से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामित एक प्रतिनिधि अथवा कृषि स्ट्रीम से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा नामित प्रतिनिधि अथवा उपर्युक्त धाराओं के अलावा किसी अन्य धारा से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्	सदस्य

<p>(v) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग</p> <p>या</p> <p>सरकार के सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</p> <p>या</p> <p>सरकार के सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग</p> <p>(व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रकार पर आधारित होगा)</p>	<p>पदेन सदस्य सचिव</p>
---	------------------------

- (2) समिति के सभी सदस्यों की निष्ठा निर्विवाद होनी चाहिए तथा उन्हें अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा निस्संदेह रूप से प्राप्त होनी चाहिए।
- (3) अध्यक्ष की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी जिसे अधिकतम एक वर्ष के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा।
- (4) नियमों में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा और वह अध्यक्ष की इच्छानुसार पद धारण करेगा।
- (5) चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।
- (6) शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष झारखंड सरकार या भारत सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समवर्ती रूप से पद धारण नहीं करेंगे ।
- (7) इस धारा की उपधारा (i) और (iii) में उल्लिखित शुल्क विनियमन समिति के नामित सदस्यों को 03 वर्ष की अवधि के लिए या उनके पद पद पर बने रहने तक, जो भी पहले हो, नामित किया जाएगा।
- (8) समिति की बैठकों के लिए कोरम उपस्थित सदस्यों के आधे से निर्धारित की जाएगी।
- (9) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार शुल्क विनियमन समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

(10) सरकार, अधिमानतः इस अध्यादेश के प्रख्यापन होने के तीन महीने के भीतर, व्यापक प्रसार और जानकारी के लिए शुल्क विनियमन समिति के गठन को अधिसूचित करेगी।

4.(1) अध्यक्ष की नियुक्ति झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर सरकार द्वारा की जाएगी।

अध्यक्ष एवं
सदस्यों की
नियुक्ति एवं
त्यागपत्र

(2) किसी भी निजी उच्च शिक्षण संस्थान से संबद्ध कोई भी सदस्य शुल्क विनियमन समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष सरकार को उचित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

(4) यदि सरकार अध्यक्ष का त्यागपत्र स्वीकार कर लेती है, तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सरकार द्वारा वर्तमान अध्यक्ष के त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तिथि से अधिमानतः 2 (दो) महीने की अवधि के भीतर एक उपयुक्त प्रतिस्थापन को नामित किया जाएगा।

5.(1) अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में, सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अधिमानतः पद रिक्त होने की तिथि से 03 माह के भीतर अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी।

सरकार द्वारा
भरी गई
रिक्तियां

(2) यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक वह कर्तव्यों का प्रभार नहीं संभाल लेता।

6.(1) शुल्क विनियमन समिति का कोई भी सदस्य सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

सदस्यों का
इस्तीफा और
निष्कासन

(2) सरकार, यदि उचित समझे, राज्य राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, लोकहित के आधार पर अध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य को अपने पद से हटा सकती है।

(3) किसी भी सदस्य को बचाव करने का अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जाएगा।

7. शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष और गैर-पदेन सदस्यों के वेतन, बैठक शुल्क और भत्तों का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार किए जाएंगे।

अध्यक्ष और
सदस्यों को
वेतन, बैठक
शुल्क और भत्ते

अध्याय - III

शुल्क विनियमन समिति की शक्तियां

8. शुल्क विनियमन समिति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी -
- (i) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान से व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना के साथ-साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तिथियों को अधिसूचित करना, ताकि शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पहले उन्हें जांच के लिए समिति के समक्ष रखा जा सके;
- (ii) निर्धारित नियमों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में शुल्क की निगरानी और विनियमन करना;
- (iii) सत्यापित करना कि क्या प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क न्यायोचित है और यह मुनाफाखोरी या कैपिटेशन शुल्क वसूलने के समान तो नहीं है;
- (iv) उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए लिये जाने वाले शुल्क की संरचना को अनुमोदित या संशोधित करना;
- (v) समयबद्ध तरीके से शुल्क के संबंध में विद्यार्थियों की शिकायतों का निराकरण करना;
- (vi) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्ययन कार्यक्रमों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के रूप में अधिसूचित करना;
- (vii) अपने निष्कर्षों को औपचारिक रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों को सूचित करना, ताकि उचित समय-सीमा के भीतर, उल्लेखित कमियों को दूर करने का निर्देश दिया जा सके। उच्च शिक्षण संस्थानों को कमियों को शीघ्रता से पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ साथ कमियों पर निष्कर्ष के विरुद्ध समिति के समक्ष अभ्यावेदन देने, इन दोनों का, सदैव

शुल्क विनियमन
समिति की
शक्तियां और
कार्य

अधिकार होगा;

- (viii) इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों, अनुसूचियों को किसी भी नाम से अनुमोदित और अधिसूचित करना;
- (ix) अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राप्ति, अनुमोदन, स्पष्टीकरण या किसी अन्य घटना के लिए समयसीमा अधिसूचित करना, चाहे वह किसी भी नाम से हो।

9.(1) शुल्क विनियमन समिति को, इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक असैनिक न्यायालय में निहित हैं, अर्थात: -

समिति की
प्रक्रिया और
शक्तियां
केंद्रीय
अधिनियम
संख्या 05,
1908

- (i) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;
- (ii) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी दस्तावेज अथवा अन्य भौतिक वस्तु के उत्पादन एवं खोज की आवश्यकता;
- (iii) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (iv) सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना ;
- (v) गवाहों की जांच के लिए आयोग निर्गत करना;
- (vi) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;
- (vii) कोई अन्य विषय जो निर्धारित किए जाएँ ।

(2) शुल्क विनियमन समिति को किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जिसे वह उचित समझे।

(3) शुल्क विनियमन समिति, जैसा वह उचित समझे, अपने समक्ष कार्यवाही में विद्यार्थियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी विवादों का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

10.(1) शुल्क विनियमन समिति उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों

शुल्क निर्धारण
के कारक

के लिए ली जाने वाली शुल्क का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए करेगी, अर्थात् -

- (i) उच्च शिक्षण संस्थान का स्थान;
 - (ii) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;
 - (iii) उपलब्ध आधारभूत संरचना ;
 - (iv) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय;
 - (v) उच्चतर शिक्षण संस्थान की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष, यदि कोई हो;
 - (vi) प्रवासी भारतीय छात्रों से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो;
 - (vii) उच्च शिक्षण संस्थान का अंकेक्षित लेखा ;
 - (viii) अन्य कोई कारक जिसे समिति उचित समझे।
- (2) कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान, शुल्क विनियमन समिति के अनुमोदन के बिना व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी से किसी भी नाम या रूप में कोई शुल्क नहीं लेगा।
- बशर्ते कि उच्च शिक्षण संस्थान, रिक्ति या अन्य कारणों से शुल्क विनियमन समिति की अनुपस्थिति में, अधिकतम एक शैक्षणिक वर्ष के व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क ले सकेगा। शुल्क विनियमन समिति के गठन के पश्चात, इस शुल्क को समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।
- (3) कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी से शुल्क विनियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी नाम या रूप में कोई शुल्क नहीं वसूलेगा।
- (4) शुल्क विनियमन समिति द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित शुल्क, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बाध्यकारी होगा। उक्त अवधि के अंत में उच्च शिक्षण संस्थान संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार निर्धारित शुल्क दिए गए शैक्षणिक वर्ष के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थी पर लागू होगा और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के पूरा होने तक संशोधित नहीं किया जाएगा।

- (5) समिति को उच्चतर शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा करने और अनुमोदित करने की शक्ति होगी, जो सामान्यतः तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए होगी, तथा विशेष परिस्थितियों में, लिखित रूप में दर्ज कारणों से, एक या दो वर्ष की अवधि के लिए होगी।
- (6) कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी विद्यार्थी से एक वर्ष की फीस से अधिक फीस नहीं वसूलेगा।
- (7) शुल्क विनियमन समिति उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के संबंध में अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर सकती है और इस प्रयोजन के लिए वह समान स्तर के उच्चतर शिक्षण संस्थानों को व्यापक समूहों में रख सकती है।

अनुसूचित जाति,
अनुसूचित
जनजाति और
अन्य पिछड़ा वर्ग
के छात्रों को
रियायत

बशर्ते कि शुल्क विनियमन समिति ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों से अन्य विद्यार्थियों के लिए निर्धारित फीस के अलावा अधिक शुल्क वसूलने की अनुमति दे सकती है। इस उच्च शुल्क का उपयोग राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के विद्यार्थियों को शुल्क में रियायत प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

- 11.(1) किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा कैपिटेशन शुल्क वसूलने या मुनाफाखोरी की किसी भी शिकायत की जांच शुल्क विनियमन समिति द्वारा की जाएगी, जो संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान के प्रबंधन से साक्ष्य और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, उचित दंडात्मक कार्रवाई करेगी।
- (2) जब तक संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की विस्तृत प्रक्रिया शुल्क विनियमन समिति द्वारा अधिसूचित की जाएगी।
- (3) इस अधिनियम या इसके बाद बनाए गए नियमों या समिति द्वारा जारी निर्देशों के किसी प्रावधान के उल्लंघन और/या किसी आदेश का पालन न करने पर, दोषी पाये जाने पर, समिति बीस लाख रुपये तक का दंडात्मक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है।

(4) अधिनियम के किसी उपबंध या उसके पश्चात बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए उपधारा (3) के अधीन दंडात्मक जुर्माना अधिरोपित करने के अतिरिक्त, समिति उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण को मान्यता वापस लेने तथा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को संबद्धता अस्वीकार करने की अनुशंसा कर सकती है, जो लागू हो।

(5) उप-धारा (3) के अधीन दंडात्मक जुर्माना, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में विनिर्दिष्ट जुर्माने के अतिरिक्त, बिना किसी पूर्वाग्रह के लगाया जा सकेगा।

अध्याय - IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

- 12.(1) राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समिति को ऐसी धनराशियां अनुदानित कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे। वित्त, लेखा और अंकेक्षण
- (2) समिति की अपनी निधि होगी; तथा सरकार द्वारा समय-समय पर उसे दी जाने वाली सभी राशियाँ एवं समिति की सभी प्राप्तियाँ इस निधि में जमा की जाएंगी और समिति द्वारा सभी भुगतान उसी से किए जाएंगे।
- (3) समिति इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी धनराशि व्यय कर सकेगी, जो वह उचित समझे और ऐसी धनराशि समिति की निधि से देय व्यय मानी जाएगी।
- (4) समिति प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रारूप में और समय पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी, जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे, उसकी प्रतियां सरकार को भेजी जाएंगी। बजट
- (5) समिति अपनी निधि किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाते में रखेगी, जो सरकारी निधियों को रखने के लिए प्राधिकृत हो, जैसा कि वह उचित समझे। लेखा
- (6) समिति के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय या सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा। अंकेक्षण
- (7) समिति के वार्षिक लेखों तथा उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सरकार को भेजे जायेंगे, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रख सकेगी तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन से उत्पन्न

मामले पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति समिति को भेज सकेगी।

- (8) समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसे ऐसी तारीख और समय के पूर्व, जो विहित किया जाए, सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा राज्य सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को उसकी प्राप्ति के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

अध्याय - V

विविध

13. इस अधिनियम के तहत स्थापित समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य, जब इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके बाद बनाए गए नियमों या जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में कार्य करते हैं या कार्य करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अर्थ के अधीन लोक सेवक माना जाएगा। लोक सेवक की स्थिति/प्रतिष्ठा
14. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात या समिति द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध के संबंध में समिति या अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण
- 15.(1) सरकार किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसकी राय में उसमें निहित उपबंधों या उसके अधीन जारी किए गए किसी नियम या निर्देश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थान का प्रबंधन ऐसे प्रत्येक निर्देश का अनुपालन करेगा। सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति
- (2) सरकार अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश भी दे सकेगी जो उसकी राय में इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निर्देशों का अनुपालन करे।

- (3) सरकार को समिति के किसी भी निर्देश या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होगा, जिसके लिए लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाएंगे।

16. इस अधिनियम के उपबंध, किसी असंगत बात के होते हुए भी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रभावी होंगे।
- अन्य कानूनों को दरकिनारा (Override) करने वाला अधिनियम
17. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले उपबंध कर सकेगी, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
- कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
- 18.(1) सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी दृष्टि से कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- नियम बनाने की शक्ति
- (2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात:-
- (i) समिति के सदस्यों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (ii) इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन समिति द्वारा लेखाओं का रखरखाव करने के प्रकार और तरीके;
- (iii) अध्यक्ष और अन्य समिति सदस्यों के वेतन और भत्ते;
- (iv) ऐसे अन्य मामले जो समिति के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हों।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

उद्देश्य एवं लक्ष्य

झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025 के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित होंगे:-

1. हाल के वर्षों में, झारखंड में उच्च शिक्षा परिदृश्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। झारखंड, जो अभी भी देश की तुलना में कम सकल नामांकन अनुपात और प्रति लाख पात्र जनसंख्या पर कॉलेजों की संख्या से ग्रस्त है, को उच्च गुणवत्ता वाले निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की अत्यधिक आवश्यकता है।
2. जहाँ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की भागीदारी से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच बढ़ेगी, वहीं इन व्यावसायिक संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस के विनियमन से संबंधित चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।
3. इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढाँचा आवश्यक है कि इनके द्वारा ली जाने वाली फीस मनमानी और अत्यधिक न हो, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों पर अनुचित वित्तीय दबाव न पड़े।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लामिक एकेडमिक ऑफ एजुकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2003) 6 एससीसी 697 और पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2005) 6 एससीसी 537 में प्रस्तुत मामले में यह माना गया है कि प्रत्येक संस्थान अपनी स्वयं की शुल्क संरचना तैयार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मुनाफाखोरी को रोकने के लिए इसे विनियमित किया जा सकता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जा सकता है।
5. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों ने निजी शिक्षण संस्थानों की फीस को विनियमित करने के लिए तंत्र स्थापित किए हैं, लेकिन झारखंड ने अभी तक संवैधानिक अधिदेश और शक्तियों के साथ ऐसा कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है।
6. इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जहाँ झारखंड के छात्र व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं और अत्यधिक शुल्क का शिकार हो रहे हैं।
7. इसलिए, यह आवश्यक है कि संवैधानिक अधिदेश और स्वायत्तता वाली एक नियामक संस्था की स्थापना में कोई देरी न की जाए।

8. इन ज्वलंत मुद्दों के मद्देनजर, झारखंड राज्य में एक शुल्क विनियमन समिति की स्थापना के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है।
9. शुल्क विनियमन समिति की संरचना, शक्तियाँ और कार्य, साथ ही समिति के सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें दिए जाने वाले वेतन या मानदेय और शुल्क विनियमन समिति के सदस्यों को हटाने की व्यवस्था।
10. उचित शुल्क संरचना, विधेयक में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर दंड, छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र और अन्य विविध प्रावधानों के निर्धारण हेतु शुल्क विनियमन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

अतः, यह विधेयक प्रस्तावित है।

(सुदिव्य कुमार)
भार-साधक सदस्य